

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-381 /11-सी-FP/UP/Others/42318/2019, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 19, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० प्रयागराज द्वारा प्रतापगढ़-फैजाबाद रोड एन०एच०-330 (पुराना एन०एच०-96) के किमी० 59 (चैनेज-58.793) के बांयी पटरी पर खसरा नं० 02, ग्राम-करिस्ता, तहसील-पट्टी, जिला-प्रतापगढ़ में प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु आवागमन में प्रभावित 0.821468 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०- FP/UP/Others/42318/2019

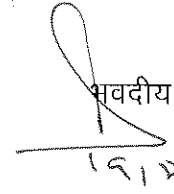
सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/२४/२०२०/एफ०सी०/६७०, दिनांक 10.06.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज के पत्रांक-472/15-1, दिनांक 30.07.2020 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 14.08.2020 को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय
19.8

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Others/42318/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, प्रतापगढ़।
3. वरिष्ठ प्रवन्धक (खुदरा विक्री), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, प्रयागराज मण्डलीय कार्यालय, प्रयागराज।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।